बिहार सरकार
मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग

।। अ धि सू च ना ।।

संख्या–सं0का01/वि0मं0(मंत्री)4022/2006–927/ दिनांक–23 सितम्बर, 2006.

बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0–15, 2006) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथाः–

।। नि य मा व ली ।।

1. (1) यह नियमावली बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 कही जा सकेगी।

(2) यह पहली अक्टूबर, 2006 से प्रभावी होगी।

2. इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो,

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार मंत्रियों के (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2006

(ख) ''अग्रिम'' से अभिप्रेत है मंत्री को निजी गाड़ी खरीदने के लिए दी जानेवाली अग्रिम की राशि।

(ग) ''परिवार'' से तात्पर्य है मंत्री के पत्नी/पति, आश्रित अवयस्क पुत्र/पुत्री, अथवा ऐसे माता/पिता जो पूर्णतः मंत्री पर आश्रित हों।

(घ) ''मंत्री'' से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 164 के अधीन राज्यपाल द्वारा उस रूप में नियुक्त व्यक्ति।

(ड.) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है बिहार विधान मण्डल के किसी भी सदन का सदस्य।

(च) ''यात्रा भत्ता'' से अभिप्रेत है ऐसा भत्ता जो लोक सेवा के लिए मंत्री द्वारा की गई यात्रा हेतु अनुमान्य हो और उसमें दैनिक भत्ता भी सम्मिलित है।

(छ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार।

3. **पदभार ग्रहण करने के लिए ''यात्रा–भत्ता''।** – मुख्य मंत्री/मंत्री को, पदभार ग्रहण करने के निमित रेल या बस या जल मार्ग से यात्रा करने पर, निम्नलिखित भत्ते अनुमान्य होगें :–

(क) ट्रेन से यात्रा करने पर वातानुकूलित प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी की एक ओर का यात्रा–भत्ताः

(ख) उनके साथ यात्रा करनेवाले परिवार के ऐसे सदस्य, जो वस्तुतः उनके साथ रहते हों, उन्हें उसी श्रेणी में यात्रा कर सकेंगे।

परन्तु वास्तव में उनके द्वारा उक्त श्रेणी में यात्रा की गयी हो।

(ग) यदि बस से यात्रा किए हों अथवा अंशतः बस एवं अंशतः ट्रेन से अथवा जल मार्ग से यात्रा किए हों तो यात्रा पर किए गए वास्तविक व्यय की राशि उन्हें भुगतेय होगी।

4. मंत्रियों का वेतन। –

(क) मुख्य मंत्री एवं मंत्री को बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् के सदस्य के रूप में देय वेतन अनुमान्य होगा।

(ख) ऐसे मुख्य मंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री/ जो बिहार विधान मण्डल के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, उन्हें वही वेतन देय होगा, जो किसी सदन के सदस्य को मिलता हैः

परन्तु, यह कि उन्हें यह सुविधा शपथ ग्रहण की तिथि से 6 माह तक ही प्राप्त होगी।

5. क्षेत्रीय भत्ता। – मुख्य मंत्री/मंत्री सदस्य के रूप में अनुमान्य क्षेत्रीय भत्ता पाने के हकदार होंगे।

6. आतिथ्य भत्ता। – मुख्य मंत्री/मंत्री कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित दर पर आतिथ्य भत्ता के हकदार होंगे :–

मुख्य मंत्री 15000/– रुपये प्रतिमाह

मंत्री 14500/– रुपये प्रतिमाह

राज्य मंत्री 14000/– रुपये प्रतिमाह

उप मंत्री 13500/– रुपये प्रतिमाह

7. आवास की सुविधा। –

(क) मुख्य मंत्री के हेतु भवन निर्माण विभाग, निर्धारित एवं सुसज्जित आवास उपलब्ध कराएगा तथा उसके रख–रखाव की जिम्मेवारी का निर्वहन करेगा।

(ख) मंत्री, राज्य के नूतन राजधानी क्षेत्र में निःशुल्क एवं सुसज्जित आवास के हकदार होंगे। उसका उपयोग वे अपने कार्यकाल एवं उसके बाद एक माह तक कर सकेंगे।

(ग) ऐसे आवासों के अनुरक्षण के संबंध में उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई व्यय भार वहन नहीं करना पड़ेगा।

(घ) ऐसे आवासों की साज–सज्जा एवं रख–रखाव की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग की होगी।

(ड.) मंत्री के आवासों की साज–सज्जा और अनुरक्षण पर खर्च, उस पैमाने और उस आर्थिक सीमाओं के भीतर होगा, जो राज्य सरकार संकल्प/अनुदेशों के द्वारा विहित करे।

(च) ऐसे आवंटित आवासों में बिजली, पानी एवं अन्य स्थानीय करों का भुगतान सरकार के द्वारा किया जायेगा।

***स्पष्टीकरण* :– इस धारा के प्रयोजनार्थ आवास के अन्तर्गत स्टाफ क्वाटर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी हैं।**

8. वाहन की सुविधा। – मुख्य मंत्री/मंत्री के उपयोग के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी गाड़ियों में प्रतिमाह आवश्यकतानुसार ईंधन की आपूर्ति मंत्री के

स्थापना विभाग के द्वारा करायी जायगी। गाड़ी के रख–रखाव की जिम्मेवारी मंत्री के स्थापना विभाग की होगी।

9. **सरकारी कर्तव्य के लिए अनुमान्य यात्रा भत्ता। –**

मुख्य मंत्री/मंत्री को,

(क) निजी कार से सड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए 10/– रू0 प्रति किलोमीटर की दर से 'मील–भत्ता' देय होगा।

(ख) जल मार्ग से की गयी यात्रा के लिए वास्तविक खर्च भुगतेय होगाः

परन्तु, जब वे अपनी गाड़ी से यात्रा करते हों तथा नदी के पार जाना हो तो वे मील भत्ता के अतिरिक्त वास्तविक जल–परिवहन खर्च पाने के हकदार होंगे।

उपरोक्त यात्राओं की अवधि के लिये नियम 11 के अधीन दैनिक भत्ता देय होगा।

10. **हवाई जहाज से यात्रा की सुविधायें। –**

सरकारी यात्रा –

(क) मुख्य मंत्री एक्जिक्यूटीभ श्रेणी/प्रथम श्रेणी में सरकारी खर्च पर यात्रा कर सकेंगे।

(ख) मंत्री एक्जिक्यूटीभ श्रेणी/प्रथम श्रेणी में सरकारी खर्च पर यात्रा कर सकेंगे।

मुख्य मंत्री/मंत्री को उपरोक्त यात्रा के लिए इस नियमावली के नियम 11 के अधीन दैनिक भत्ता भी अनुमान्य होगा।

11. **दैनिक–भत्ता। –** मुख्य मंत्री/मंत्री 500 रू0 प्रतिदिन की दर से पूरे माह के लिए दैनिक भत्ता के हकदार होंगेः

परन्तु, राज्य के बाहर यात्रा करने पर 1000/– रू0 प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता के हकदार होंगे।

12. **दूरभाष की सुविधा। –**

(क) मुख्य मंत्री को आवश्यकता के अनुसार कार्यालय एवं आवास पर दूरभाष की सुविधायें प्राप्त होगी।

(ख) मंत्री के कार्यालय एवं आवास पर आधुनिक तकनीकी सुविधाओं के साथ एक–एक दूरभाष की सुविधा प्राप्त होगी।

मंत्री के कार्यालय/आवास पर उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी उनकी स्थापना के विभाग की होगी।

13. **चिकित्सा सुविधायें। –** मुख्य मंत्री/मंत्री एवं उनके परिवार के सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों के समान निःशुल्क चिकित्सा की सुविधायें प्राप्त होगी।

14. **रेलवे कूपन की सुविधायें। –** मुख्य मंत्री/मंत्री को निजी यात्रा के लिये रेलवे–कूपन की वही सुविधायें प्राप्त होगीं, जो सदस्य के रूप में उन्हें अनुमान्य हैं।

15. **विदेश यात्रा की सुविधा एवं अनुमान्य भत्ते।** –

(क) मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री की सहमति से विदेश यात्रा पर जा सकेंगे। उन्हें भारत सरकार के मंत्री के समान सुविधायें अनुमान्य होगीं।

(ख) मंत्री, मुख्य मंत्री की अनुमति लेकर सरकारी कार्य से विदेश जा सकेगे। इसके लिए उन्हें भारत सरकार के राज्य मंत्री के समान सुविधायें अनुमान्य होगीं।

16. **कार अग्रिम। –** मुख्य मंत्री/मंत्री को विधान मंडल के सदस्यों के रूप में अनुमान्य कार अग्रिम देय होगा एवं अग्रिम के वापसी विधान मंडल के सदस्यों पर लागू शर्तों के अनुरूप ही होगा।

17. मुख्य मंत्री/मंत्री, अपना पद–त्याग करने के बाद इस नियमावली के नियम 3 के अधीन यात्रा–भत्ता की सुविधा के हकदार होंगे।

18. **निजी कर्मियों की सुविधा। –** इस नियमावली की अनुसूची–1 के अनुसार निजी कर्मियों की सुविधायें अनुमान्य होगी।

19. राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों को व्याख्या करने तथा समय–समय पर इसमें संशोधन करने का अधिकार होगा।

20. **निरसन एवं व्यावृत्ति। –**

(i) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निम्नलिखित नियमावली निरस्त समझी जायेंगी :–

(1) बिहार के मंत्री (भत्ता) नियमावली, 1953

(2) बिहार के उपमंत्री के (भत्ता) नियमावली, 1954

(3) बिहार के मंत्री का मोटर कार अग्रिम नियमावली, 1953

(4) बिहार के उपमंत्री का मोटर कार नियमावली, 1953

(ii) इस नियमावली के होते हुए भी पूर्व नियमावलियों के प्रावधानों के अधीन की गयी यात्राओं पर इस नियमावली का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(भोगेन्द्र झा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या–सं0का01/वि0मं0(मंत्री)4022/2006–927/दिनांक– 23 सितम्बर, 2006

प्रतिलिपि– महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय/सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/विधि विभाग/सरकार के सभी विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या–सं0का01/वि0मं0(मंत्री)4022/2006–927/दिनांक– 23 सितम्बर, 2006

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अधिसूचना की 1000(हजार) मुद्रित प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ह0/–

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या–सं0का01/वि0मं0(मंत्री)4022/2006–927/दिनांक– 23 सितम्बर, 2006

प्रतिलिपि– सभी मंत्रीगण के आप्त सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

अनुसूची – 1

मंत्रियों को निजी कर्मचारियों की सुविधा निम्न प्रकार से अनुमान्य होगीं :–

क्र0 सं0	महानुभाव	आप्त सचिव	निजी सहायक	निम्नवर्गीय लिपिक	आदेशपाल
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्य मंत्री / मंत्री	02 (राजपत्रित पदा0–1, वाह्य–1)	02 (सरकारी / वाह्य)	01 (सरकारी / वाह्य)	03 (सरकारी / वाह्य व्यक्ति)
2.	राज्य मंत्री	02 (राजपत्रित पदा0–1, वाह्य–1)	02 (सरकारी / वाह्य)	01 (सरकारी / वाह्य)	02 (सरकारी / वाह्य व्यक्ति)
3.	उप मंत्री	01 (राजपत्रित पदा0)	02 (सरकारी / वाह्य)	01 (सरकारी / वाह्य)	02 (सरकारी / वाह्य व्यक्ति)

नोट : –

(i) मंत्रियों के आप्त सचिव राज्य सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी होंगे।

(ii) सरकारी कोटा के आप्त सचिव / निजी सहायक / निम्नवर्गीय लिपिक की प्रतिनियुक्ति मंत्री की अधियाचना पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा की जायेगी। आदेशपाल की प्रतिनियुक्ति मंत्री के स्थापना विभाग द्वारा की जायेगी।

(iii) वाह्य सेवा के आप्त सचिव / निजी सहायक / निम्नवर्गीय लिपिक / आदेशपाल की नियुक्ति संबंधित मंत्री के द्वारा स्वेच्छा से की जायेगी। उपरोक्त वाह्य व्यक्ति की सेवा सर्वथा अस्थायी हागी और मंत्री के कार्यकाल तक ही सीमित होगी। इसके पूर्व भी बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें मंत्री के द्वारा हटाया जा सकता है। उपरोक्त वाह्य व्यक्तियों को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नियत वेतन एवं अनुमान्य महंगाई भत्ता अनुमान्य होगी।